



सं.सीआरडब्लूसी- 1/ यौन उत्पीड़न/2014-15/3362

दिनांक: 09.11.2015

### परिपत्र

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के अध्याय 2 खंड (4) में दिए गए प्रावधानों के अनुपालन में सीआरडब्लूसी ने दिनांक 03.02.2015 के परिपत्र संख्या सीआरडब्लूसी- 1/ यौन उत्पीड़न/2014-15/6024 द्वारा आंतरिक शिकायत समिति का निम्न प्रकार से गठन किया गया था:-

1. श्रीमती प्रीती गुप्ता, प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)	पीठासीन अधिकारी
2. श्री अभिषेक फौजदार, उप प्रबंधक (आईटी)	सदस्य
3. श्रीमती प्रीता कुमारी, कार्यकारी-एलओएम	सदस्य
4. श्रीमती सरबजीत कौर कार्यकारी (मानव संसाधन)	सदस्य
5. सुश्री विनय भारद्वाज महिला दक्षता समिति, नई दिल्ली, (गैर सरकारी संगठन)	सदस्य

श्रीमती प्रीती गुप्ता, प्रबंधक (वित्त एवं लेखा) एवं श्री अभिषेक फौजदार, उप प्रबंधक (आईटी), ने चूंकि संगठन छोड़ दिया है, अतः अब सक्षम प्राधिकारी ने निम्नलिखित सदस्यों की आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया है:

1. श्रीमती कविता कथूरिया, उप महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)	पीठासीन अधिकारी
2. श्री यतिन के. पटेल, उप महाप्रबंधक (एलओएम)	सदस्य
3. श्रीमती प्रीता कुमार, कार्यकारी (एलओएम)	सदस्य
4. सरबजीत कौर, कार्यकारी (मानव संसाधन)	सदस्य
5. सुश्री विनय भारद्वाज, महिला दक्षता समिति, नई दिल्ली, (गैर सरकारी संगठन)	सदस्य

यतिन के पटेल  
(यतिन के पटेल)  
उप महाप्रबंधक (एल.ओ.एम)

सेवा में,

सभी संबंधित व्यक्ति

वितरण:-

- सभी विभागाध्यक्ष, सीआरडब्लूसी, कॉरपोरेट कार्यालय, नई दिल्ली ।
- सभी अधिकारी/कर्मचारी, सीआरडब्लूसी, कॉरपोरेट कार्यालय, नई दिल्ली ।
- सभी टर्मिनल प्रबंधक, (ईमेल से भेजा जाए)
- प्रबंध निदेशक की निजी सचिव, सीआरडब्लूसी, कॉरपोरेट कार्यालय, नई दिल्ली ।

आई. टी.